

नगर परिषद, शाहपुरा

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/SHAHUPURA BHILWARA/FIRENOC/2024-25/37882
जारी दिनांक: 29-JUL-2025 वैधता दिनांक: 28-JUL-2027

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: PRADEEP PAREEK
आवेदक का पता: GUJARATI MOHALLA SHAHPURA

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन INDIAN PUBLIC SCHOOL SHAHPURA, KHASARA NO 8198 8199, ADARSH NAGAR, NEAR NASIYA MANDIR, SHAHPURAA, BHILWARA, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्त:-

1. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
2. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से 1 वर्ष कि अवधि हेतु ही मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण आवश्यक होगा, अन्यथा अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
3. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रिफिल कराना होगा।
4. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबन्धक को मान्य होगा।
5. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रुफटॉप रेस्टोरेंट के लिए मान्य नहीं है। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है यहा पर रुफटॉप रेस्टोरेंट का संचालक पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
6. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने बाध्य होंगे।
7. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
8. भवन के अन्दर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे।
9. रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर कि उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
10. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
11. भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
12. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रुफटॉप रेस्टोरेंट के लिए मान्य नहीं है। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है यहा पर रुफटॉप रेस्टोरेंट का संचालक पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
13. भवन के समस्त स्टाफ व सिक््योरिटी गार्डस को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
14. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।
15. भविष्य में भवन में किसी भी प्रकार की आगजनी घटना घटित होती है तो सम्पूर्ण जिम्मेदारी संस्थान/आवेदन/संचालनकर्ता की होगी।



Signed by: Rinkle Gupta
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: Shahpuraa, Rajasthan
Date: 29/07/2025 18:46:52

अग्निशमन अधिकारी
नगर परिषद, शाहपुरा